राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक: एफ 40(130)ग्रावि/नरेगा/Plantation/2020 जयपुर, दिनांक: 16 AUG 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पौधशाला तैयार करने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ40(130)ग्रावि/नरेगा/Plantation/2020 दिनांक 02.07.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित बा–बापू वृक्षारोपण अभियान में मुख्यतः तीन प्रकार की गतिविधियां ली गई है–

1. पौधशाला विकास
2. पौषण वाटिका विकास
3. सामान्य वृक्षारोपण कार्य

इन समस्त के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग के पत्र क्रमां के द्वारा जारी किये जा चुके हैं। इसमें यह अपेक्षा की गयी थी कि **"प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से कम से कम एक नर्सरी का विकास महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किया जाए।**

वस्तुतः महात्मा गांधी नरेगा योजनन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य मुख्यतः 3 रूपों में हो सकता है –

1. वन विभाग द्वारा नर्सरी विकास।
2. कृषक/व्यक्तिगत लाभार्थी के द्वारा नर्सरी विकास।
3. ब्लॉक/ग्राम पंचायत द्वारा नर्सरी विकास।

इसमें यह पाया गया है कि अभी भी पंचायत स्तर पर पौधशाला विकास के लिए अपेक्षित स्तर की कार्यवाही नहीं की गई है। राज्य में वर्तमान में 11000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और इनमें अत्यधिक मरूस्थलीय जिलो को छोडकर अधिकांश जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पौधशाला विकास का कार्य लिया जा सकता है। परन्तु वर्तमान में जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार जिलेवार प्रगति संलग्न है, जो यह सूचित करती है कि विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा अतिरिक्त रूप में प्रयास किया जाना आवश्यक है।

किसी पौधशाला के लिए प्रारंभिक आवश्यकता समुचित स्थान के चयन की है। इसमें चारदीवारी वाले परिसर सामान्य रूप में सबसे अनुकूल माने जाते है। इस दृष्टि से

लगभग प्रत्येक विद्यालय परिसर के अन्तर्गत पौधशाला लगायी जा सकती हैं। वहां पौधशाला लगाने से छात्रों के भीतर भी वृक्षारोपण की समुचित सीख विकसित की जा सकेगी। लगभग प्रत्येक पंचायत के भीतर न्यूनतम दो या तीन विद्यालय हो सकते हैं। और उनमें भी संभावना है कि किसी न किसी एक विद्यालय में एक पौधशाला विकसित करने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाए। ऐसे में प्रत्येक पंचायत में एक पौधशाला न लगा पाने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। इन स्थानों के अतिरिक्त भी पंचायत मुख्यालय पर अनेक अन्य भवन भी विद्यमान है। जैसे– राजीव गांधी आइटी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन, आगनवाड़ी केन्द्र, एएनएम केन्द्र आदि। इतने परिसर होने के बावजूद भी मात्र एक नर्सरी योग्य स्थान भी चिन्हित न कर पाना उचित नहीं है।

चारदीवारी वाले परिसर के अतिरिक्त पौधशाला के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जावें, जो मुख्य सड़क मार्ग के नजदीक हो तथा वृक्षारोपण स्थलों के भी समीप हो। पौधो को लाने ले जाने में आसानी हो, चयनित स्थान लगभग सपाट एवं अच्छी जल निकासी (Drainage) वाली तथा स्थल पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अच्छी गुणवत्ता एवं समुचित लम्बाई के पौधे प्राप्त किए जाने हेतु पौधशाला तैयार (नर्सरी विकास) करना एक अनुमत गतिविधि है। आगामी वर्षो में सघन पौधारोपण कार्य हेतु पौधों की निरन्तर आवश्यकता के अनुरूप एवं अच्छी गुणवत्ता व समुचित लम्बाई के पौधो की सुनिश्चित उपलब्धता के लिए योजनान्तर्गत अधिक से अधिक पौधशाला या नर्सरी विकास के कार्य करवाए जाने की आवश्यकता है, जिससे आगामी वर्षो में अच्छी गुणवत्ता एवं लम्बाई के पौधे प्राप्त हो सकें। इनमें निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना है:–

- पौधशाला में सामान्य छायादार, फलदार पौधों के अतिरिक्त विभिन्न सब्जियों के लिए भी स्थान बनाया जाना है ताकि वह एक सम्पूर्ण वाटिका का आधार बन सके।
- इसमें वर्तमान आवश्यकतानुसार विभिन्न सामान्य औषधीय पौधे भी तैयार किए जाने चाहिए जिनमें एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, शतावरी, अपराजिता आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें पौधाशाला के किनारों पर भी लगाया जा सकता है।
- पौधारोपण करते समय सबसे कम ध्यान लताओं और बेलों पर जाता है, जबकि इनके लिए प्रायः अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती और वे अन्य किसी वृक्ष या पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए ही विकसित हो सकती है। ये चारदीवारियों के पास भी आसानी से लगाई जा सकती है। ऐसे पौधों में औषधीय पौधे जैसे गिलोय, शतावरी, अपराजिता आदि तथा सब्जियों की बेलें जैसे करेला, लोकी, तुरई, कद्दू, काकोड़ा आदि लगायी जा सकती हैं। विशेष रूप से फलदार पौधों पर पूर्ण विकसित होने में बहुत समय लगता है और उनके बीच आवश्यकतानुसार 5–10 फीट की जगह दीर्घकाल तक खाली

रहती है, जिसमें सामान्यतः घास या खरपतवार उग जाती है। इन स्थानों पर सब्जियों को लगाया जाना चाहिए। इससे वहां नियमित देखभाल एवं सिंचाई भी हो सकेगी। इनके अंतर्गत बेलों के अतिरिक्त अन्य सब्जियों को भी लगाया जा सकता है।

- राजस्थान सर्वाधिक विस्तृत और भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भिन्न आवश्यकता हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए अलग–अलग स्थानों पर पौधों की प्रजातिवार आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुरूप नर्सरी के विकल्प का चयन किया जा सकता है।
- यहां यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बागवानी किसी भी प्रदेश या स्थान के कृषि संबंधी विकास की प्रमुख आवश्यकता होती है। विशेष रूप से जहां अधिक वर्षा होती है अथवा भूमि समतल नहीं है अथवा भूमि स्वामित्व बड़े नहीं है वहां भी इनके माध्यम से लोगों की जीविका में आमूल परिवर्तन लाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इसके प्रमुख दृष्टांत है। ऐसे में जिलें में किसी एक फल को आधार बनाते हुए उसके व्यापक पौधारोपण हेतु प्रयास किया जा सकता है। जिस प्रकार गंगानगर और हनुमानगढ़ में किन्नू की बागवानी ने वहां की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया है, उसी प्रकार उदयपुर संभाग में आम, कोटा संभाग में संतरे व नींबू, जयपुर संभाग में बील, भरतपुर संभाग में अमरूद, अजमेर संभाग में आंवला व अनार, जोधपुर एवं बीकानेर संभाग में बेर या खजूर के पौधारोपण को वरीयता दी जा सकती है। यह भी केवल उदाहरण रूप है इसमें भी अन्य फलों या पौधों का जलवायु अनुसार चयन किया जा सकता है।
- अलग–अलग प्रकार के पौधे अलग–अलग प्रकार से तैयार होते हैं, जिनमें कुछ बीज रूप में या कुछ कलम रूप में तैयार होंगे। इसमें एक बीज बैंक भी बनाया जा सकता है, जहां लोग फलों के उपयोग के बाद उसकी गुठली या बीज को दान के रूप में वहां दे सकें। प्रायः पाया जाता है कि आम, जामुन, पपीता आदि के बहुमूल्य बीज प्रचुर मात्रा में अनुपयोगी वेस्ट बनकर चले जाते हैं। इनका उपयोग सरल रूप में पौध विकास में किया जा सकता है।
- पौधाशाला के लिए सामान्यतः छोटी–छोटी आयताकार क्यारियाँ तैयार की जाती है, परन्तु इसमें स्थान अधिक उपलब्ध होने पर इनके साथ सुन्दरतापूर्ण पैटर्न भी बनाए भी जा सकते हैं और कुछ स्थानों पर सीढ़ीनुमा क्यारियां भी बनाई जा सकती है। पौधशाला के क्षेत्र की गणना करते समय मदर बेड्स का क्षेत्र, थैलियों रखने का क्षेत्र, कटिंग्स रखने के क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही रास्ते हेतु 40 प्रतिशत क्षेत्र रखा जाना चाहिए। बीज स्टोर, पानी के टेंक, खाद रखने के स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। साधारणतया 20,000 पौधों की थैलियों की पौध तैयारी हेतु 70 वर्गमीटर क्षेत्र एवं 1 लाख पौधो की थैलियों की पौध तैयारी हेतु 350 वर्गमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है।

परन्तु पौधों के बड़े होने पर अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होगी, जिसमें यह क्षेत्र लगभग चार गुने तक हो सकता है। तद्नुरूप कार्यवाही कर ली जाए।

- पौधारोपण के समय बहुधा पौधे की आयु तथा ऊँचाई पर पर्याप्त ध्यान न देने से उनकी उत्तरजीविता गंभीर रूप में प्रभावित होती है, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि पौधशाला में पौधे न्यूनतम 3 वर्ष तक रहें। भारत सरकार द्वारा भी निर्धारित दिशा निर्देश में योजनान्तर्गत समुचित लम्बाई के पौधे तैयार हो सके, इस बाबत् नर्सरी विकास कार्य न्यूनतम 3 वर्ष के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इनमें कुछ पौधे अपवाद हो सकते हैं, परन्तु अधिकांश के साथ यही स्थिति रहेगी इसके लिए समुचित मानव संसाधन का नियोजन भी आवश्यक होगा, जिसमें नरेगा से नियमित रूप से न्यूनतम एक मजदूर का नियोजन किया जा सकता है। जहां पर पौधशाला का आकार बड़ा है वहां की निगरानी व देखभाल के लिए इससे अधिक भी श्रमिकों का नियोजन किया जा सकता है। पौधशाला स्थापना हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा–निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियां महात्मा गांधी नरेगा मद से एवं अन्य गतिविधियां कन्वर्जेन्स के तहत अन्य मद से ली जानी चाहिए। पौधशाला स्थापना हेतु प्रासंगिक विभागीय पत्र दिनांक 02.07.2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी हुए है। जारी पौधशाला निर्माण पुस्तिका के दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न तकमीनों में चौकीदार का प्रावधान किया गया है। तदनुसार चौकीदार का प्रावधान नर्सरी विकास कार्यो के तकमीनों में लिया जाए।
- वर्तमान में सामान्य पौधारोपण के लिए भी पर्याप्त आयु एवं ऊँचाई के पौधे ही लिए जाए। जहां पर आवश्यक हो, वहां निजी नर्सरी से पौधे लिए जा सकते हैं। इसके लिए जिला स्तरीय समिति की सहमति से दरों का निर्धारण कर आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए उपापन कर लिया जाए।
- यहां उल्लेखनीय है कि कुछ पौधाशालाओं को आदर्श रूप में विकसित पौधशाला का भी रूप दिया जा सकता है, जिसमें एक ही स्थान पर पौधशाला एवं पोषण वाटिका के अतिरिक्त पशुशाला (कैटलशेड), बायोगैस संयंत्र, वर्मी कम्पोस्ट, जल संरक्षण संरचना (फार्म पोंड, रूफ वाटर हारवेस्टिंग, सोक–पिट) आदि भी निर्मित किए जा सकते हैं। यहां समुचित विकास होने पर जनसामान्य के लिए भ्रमण एवं विश्राम हेतु आवश्यक सुविधा भी विकसित की जा सकती है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय भी निर्मित किए जा सकते हैं।
- पौधशालाओं के संरक्षण हेतु स्वयं सहायता समूह, गैर–सरकारी संगठन, दानदाता, जनसमुदाय के द्वारा एडोप्शन पर भी बल दिया जाना चाहिए ताकि इनका नियमित विकास हो सके। व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्सवों पर पौधारोपण का नवाचार वांछनीय होगा।

कृपया उक्तानुसार अधिक से अधिक नर्सरी विकास के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कर, क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रा.वि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि एवं पं.रा.विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

16.8.21

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस